

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद****लखनऊ**

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस - संख्या 569 वर्ष

2026

संजय सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से प्रमुख सचिव विभाग गृह सिविल सचिवालय लखनऊ और 3
अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : धनंजय कुमार त्रिपाठी, काजल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक द्वारा दाखिल की गई है, जिसे पुलिस थाना रामगाँव, जिला बहराइच में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 25 वर्ष 2025 के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। यह प्रकरण भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 127(2), 87, 64, 61(1) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
3. निर्देशों के आधार पर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्था संख्या 2 को नोटिस तामील करा दिया गया है और उसकी एक प्रति भी प्रस्तुत की है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है, किंतु सूचनादाता/शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष है, को सह-अभियुक्त अमर सिंह 17.01.2025 को सुबह लगभग 5.00 बजे बहला-फुसलाकर ले गया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक का नाम न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और न ही पीड़ित ने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अपना बयान देते समय उसका नाम लिया था। तत्पश्चात् धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दिए गए अपने बयान में पीड़ित ने अपने मामले में फेरबदल किया और पहली बार आवेदक का नाम दो अन्य सह-अभियुक्तगण, अर्थात् अनीता सिंह और रीना सिंह के साथ लिया।

6. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त, जिनका नाम अनीता सिंह है, ने इस न्यायालय में आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत संख्या 1194 वर्ष 2025 (अनीता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग, लखनऊ, एवं 3 अन्य) दाखिल करके संपर्क किया था, जिसमें इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने अपने आदेश दिनांक 09.09.2025 द्वारा उक्त अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था।

7. आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अन्य सह-अभियुक्त रीना सिंह ने भी इस न्यायालय में आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 517 वर्ष 2026 (रीना सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) दाखिल की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

थी, और उन्हें सह-अभियुक्त अनीता सिंह के प्रकरण में पारित अग्रिम जमानत आदेश के समान ही समानता (पैरिटी) प्रदान की गई है।

8. आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य सह-अभियुक्तों, अर्थात् अनीता सिंह और रीना सिंह, को सौंपी गई भूमिका वही है जो वर्तमान आवेदक को सौंपी गई है, अतः वह इस न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्तों अर्थात् अनीता सिंह और रीना सिंह को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए पारित आदेशों के आधार पर समानता (पैरिटी) का अधिकारी है।

9. इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक नामजद अभियुक्त का जीजा है, जिसे इस न्यायालय द्वारा जमानत भी प्रदान की जा चुकी है। अनीता सिंह को दी गई अग्रिम जमानत जिसका लाभ रीना सिंह को भी प्रदान किया गया है, का उल्लेख नीचे किया गया है:-

1. मुकदमा अपराध संख्या 25 वर्ष 2025 धारा 137(2), 127(2), 87, 64, 61(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, थाना - रामगाँव, जिला - बहराइच

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत शिकायतकर्ता को नोटिस तामील कराया गया है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी, जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष है, को सह-अभियुक्त अमर सिंह द्वारा दिनांक 17.01.2025 को सुबह लगभग 5:00 बजे बहला-फुसलाकर ले जाया गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत दिए गए अपने बयान में पीड़िता ने वर्तमान आवेदक का नाम नहीं लिया था, जो कि सह-अभियुक्त अमर सिंह की सगी बहन है। यह तर्क दिया गया है कि मात्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दिए गए अपने बाद के बयान में ही पीड़िता ने अपने बयान में कुछ बातें जोड़ीं और पहली बार आवेदक का नाम लिया। आवेदक पर न तो बलात्कार का कोई विशिष्ट आरोप लगाया गया है, और न ही बलात्कार करने में सह-अभियुक्त की मदद करने का कोई आरोप है। उस पर लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं, जो केवल मारपीट और उसे बंधक बनाकर रखने से संबंधित हैं।

5. आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ एक ओर पीड़िता ने प्रारम्भ में अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में यह आरोप लगाया था कि यह घटना हुजूरपुर में हुई थी, वहीं बाद में उसने अपने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में घटना के स्थान को बदलकर मल्हीपुर कर दिया। इसके अतिरिक्त चिकित्सक के सामने दिए गए अपने बयान में पीड़िता ने आवेदक का नाम नहीं लिया था। इसके अतिरिक्त उसके विरुद्ध एक अंतिम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आख्या दाखिल की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा धारा 137(2), 127(2), 87, 64, और 61(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत समन जारी किए गए।

6. इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी प्रकार से धारा 64 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक एक विवाहित महिला है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह झूठे फंसाए जाने का प्रकरण है।

7. दूसरी ओर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मारपीट और बंधक बनाने के आरोप अभियोजन पक्ष के प्रकरण में साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के अंतर्गत पीड़ित के बयानों में भी दर्ज हैं।

8. प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि आवेदक को केवल तभी समन किया गया है जब विवेचना अधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध दाखिल अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया था और यह पाते हुए कि प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के साथ पठित धारा 87 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है, यह न्यायालय इस सुविचारित मत पर पहुँचा है कि आवेदक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में प्रतिपादित विधि के आलोक में अग्रिम जमानत की अधिकारी है, बशर्ते वह विचारण में सहयोग करे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत, अभियुक्त-आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से बीस दिनों की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे। उसके आत्मसमर्पण करने पर, विचारण न्यायालय उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करेगा, बशर्ते वह विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे, तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन देने से विरत रहेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित हो या जिसके परिणाम स्वरूप साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो;

(ii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं करेगा;

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को प्रभावित करने या डराने-धमकाने का प्रयास नहीं करेगा;

(iv) आवेदक सभी नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विशेष रूप से छूट न दी गई हो;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) उपर्युक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय आवेदक को दी गई जमानत रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा;

कोई भी अन्य उचित प्रतिबंध/शर्तें, जिन्हें विचारण न्यायालय उचित और सही समझे लगाई जा सकती हैं।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

11. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया, परन्तु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा उनके द्वारा मांगी गई समानता (पैरिटी) को चुनौती देने में असमर्थ रहे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात मेरा यह मत है कि उपर्युक्त तथ्य आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु एक प्रकरण बनाने हेतु पर्याप्त हैं।

12. उपर्युक्त तथ्यों पर समुचित विचार करने के पश्चात् वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है, और आवेदक-संजय सिंह को विचारण के निस्तारण तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, इसके लिए उन्हें संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा तथा विचारण/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड और जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:-

(i) कि आवेदक जब भी आवश्यकता हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा और फरार नहीं होगा;

(ii) कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके;

(iii) कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न प्रदान की गई हो; और

(v) कि आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा धमकाएगा नहीं।

13. व्यतिक्रम की स्थिति में जाँच एजेंसी इस आदेश को रद्द करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

30 मार्च 2026

नितेश

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।